रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2016/चैत्र 29, 1938
No. 269] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2016/ CHAITRA 29 , 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2016

सा.का. नि. 425(अ).— केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावति होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं; तीस दिन के समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझावों पर, जो उक्त प्रारुप नियमों की बाबत पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों संयुक्त सचिव, (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई, दिल्ली – 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान नियम (.......संशोधन) नियम 2016 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 93 के उपनियम (2) के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु [1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात्] ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा मोटर यानों को उनके कारखानों से देश में भिन्न भिन्न विक्रय केन्द्रों पर ले जाए जाने के लिए लगाए गए अर्टिकुलेटेड यानों की दशा में 18.75 मीटर ।"

3.नियम 93 के उपनियम (2) के खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु [1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात्] ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा मोटर यानों को उनके कारखानों से देश में भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रों पर ले जाए जाने के लिए लगाए गए ट्रक-ट्रेलर या टैक्टर ट्रैलर यानों की दशा में 18:75 मीटर;

परंतु यह और कि [1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात्] ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा मोटर यानों को उनके कारखानों से देश में भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रो पर ले जाए जाने के लिए लगाए गए आर्टिकुलेटेड या ट्रक ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रेलर यान के कंटेनर की बॉडी पर कंटेनर में ले जाए जाने वाले मोटर यानों का सत्यापन करने के लिए स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की लगाइ जाएगी और स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की की न्यूनतम लंबाई 400 मि.मी. और ऊंचाई 300 मि.मी होगी और कम से कम एक स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की तीसरे यान के पास बीच में फिट की जाएगी, प्रमुख स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की आगे से 3 मी. से ज्यादा नहीं होगी; ट्रेलर की दशा में इस दूरी को मापने के लिए ड्राबार की लंबाई को ध्यान में रखा जाएगा और दो समीपस्थ स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़कियों के बीच की दूरी 4 मी. से अधिक नहीं होगी, स्लाइडिंग निरीक्षण खिड़की का ऊपरी सिरा, भूमि से 1.8 मी. से अधिक नहीं होगा ।"

4. उक्त नियमों के नियम 118 के उपनियम (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

परंतु यह भी कि [1 अप्रैल, 2017 से ही] ऑटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा उनके कारखानों से देश में भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रों पर मोटरयान ले जाने के लिए लगाए गए आर्टिकुलेटड, ट्रक-ट्रेलर या ट्रैक्टर ट्रेलर, उस समय तक जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विर्निदेश अधिसूचित करे यान विनिर्माता द्वारा, या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर, या डीलरशिप प्रक्रम पर समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप 60 किलोमीटर की अधिकतम गति वाले स्पीड गर्वनर (गति सीमित करने वाली युक्ति या गति सीमित करने वाला कार्यकरण) से सज्जित होगा या उसमें लगा होगा ।"।

5. नियम 125 के उपनियम (2) के तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह और कि [1 अप्रैल, 2017 से ही] ऑटोमोबाइल विर्निमाताओं द्वारा उनके कारखाने से देश में भिन्न-भिन्न विक्रय केन्द्रों पर मोटर यान ले जाए जाने के लिए आर्टिकुलेटड, ट्रक-ट्रेलर या ट्रैक्टर-ट्रेलर यान पश्च निगरानी संबंधी कैमरे मॉनीटरी युक्ति या पश्च अवलोकन कैमरे से सज्जित होगा ।"।

[सं. आरटी-11028/29/2006-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और सा.का.नि...... तारीख..........द्वारा उनका अन्तिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2016

G.S.R. 425(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the Public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhavan, Parliament Street, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (_____Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 93, in sub-rule (2), after clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that, on and after the 1st April 2017, in case of articulated vehicles, engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicles from their factories to different sale outlets in the country, 18.75 metres."

3. In rule 93, in sub-rule (2), after clause (iv), the following provisos shall be inserted namely:—

"Provided that, on and after the 1st April 2017, in case of Truck-Trailer or Tractor-Trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicles from their factories to different sale outlets in the country, 18.75 m.:

Provided further that, on and after the 1st April 2017, articulated or Truck-Trailer or Tractor-Trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicle from their factories to different sale outlets in the country, shall be provided with a sliding inspection window on the container body, to allow verification of motor vehicles carried in the container and the sliding inspection window shall be minimum of 400 mm in length and 300 mm in height and at least one sliding inspection window shall be fitted to the middle third of the vehicle, the foremost sliding inspection window being not further than 3 m from the front; in the case of trailers account shall be taken of the length of the drawbar for the measurement of this distance and the distance between two adjacent sliding inspection windows shall not exceed 4 m. the height of the upper edge of the sliding inspection window shall not be more than 1.8 m from the ground."

4. In the said rules, in rule 118, in sub-rule (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that on and from 1st April 2017 in case of articulated, Truck-Trailer or Tractor-Trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicles from their factories to different sale outlets in the country, shall be equipped or fitted by the vehicle manufacturer, either in the manufacturing stage or at the dealership stage, with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum speed of 60 kilometers per hour conforming to the Standards AIS 018/2001, as amended from time to time, till such time as corresponding Bureau of Indian Standards specifications are notified.".

5. In rule 125, in sub-rule (2), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that on and from the 1st April 2017 in case of Articulated, Truck-Trailer or Tractor-Trailer vehicles engaged by automobile manufacturers to carry motor vehicle from their factories to different sale outlets in the country, shall be equipped with a rear surveillance camera-monitoring device or rear view camera.".

[No. RT-11028/29/2006-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were notified in the Gazette of India *vide* G.S.R. 590(E) dated 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. dated _____

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.